

आदेश क्रमांक 23-70-2001. वि० T || 1 || दिनांक चण्डीगढ:- 2-3-2001

कासमास्य पदिल्लय स्कूल गंगवा रोड हिसार

को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10वीं तक स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समब-समब पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के जो रुल्ज बनेंगे विद्यालय विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागिय हिदायतों की पालना न करने पर विद्यालय अनापत्ति प्रमाणपत्र वापिस लिया जा सकता है।

सुमिता मिश्रा सिंह

निदेशक तैकडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ।

पृष्ठांक क्रमांक

दिनांक चण्डीगढ:- 5-3-2001

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:-

1. बिना शिक्षा क्षेत्रीय हिसार को उनके पत्र क्रमांक जी-1-
2000/31-3 दिनांक 25-7-2001 के इन्दर्भ में।

2. प्रधानाचार्य / माध्यमिक कासमास्य पदिल्लय स्कूल गंगवा रोड
हिसार जिला

3. तथि. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर
प्रीत बहार, नई दिल्ली-110092.

अधीक्षक विद्यालय-

कृते: निदेशक तैकडरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ।